न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 196 वर्ष 2023

आवेदक–मांजो देवी,
ग्राम–छोटकीपुन्नू,
थाना –महुआटांड़, जिला–बोकारो

क्रेता–पुष्पा कुमारी,
ग्राम–महुआटांड़,
थाना–महुआटांड़, जिला–बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख व साथ। 03

आदेश

यह वाद आवेदक मांजो देवी, पति– डमरलाल महतो, निवास ग्राम–छोटकीपुन्नू, थाना–महुआटांड, जिला–बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)/**(ख)** के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
महुआटांड़	48	48	734	0.13 ए0	0.4½ ए0	टांड़ दो

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो0 2,60,000/रू0–(दो लाख साठ हजार) रूपये में क्रेता पुष्पा कुमारी पति– मिथलेश कुमार, निवास ग्राम–महुआटांड़, थाना–महुआटांड़, जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1307/रा0, दिनांक 07.11.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी, गोमिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांकः–375, दिनांक 07.05.2024 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है किः–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी–महतो जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला बोकारो के निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में राम टहल पटवा के नाम से दर्ज है तथा पंजी–II के पृष्ठ सं0 118 भोलुम सं0 05 में मांजो देवी के नाम से जमाबंदी दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2023–24 तक निर्गत है। जमाबंदी कायम होने का आधार केवाला है।
03. जमाबंदीधारीधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध स्वयं का है। बिक्री की जानेवाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन सर्वे खतियान में राम टहल पटवा के नाम से दर्ज है तथा पंजी–II के पृष्ठ सं0 118 भोलुम सं0 05 में मांजो देवी के नाम से जमाबंदी दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2023–24 तक निर्गत है। जमाबंदी कायम होने का आधार केवाला है।

बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैंः–

01. बिक्रेता– केवाला की छायाप्रति है ,लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता– आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता कुर्मी–महतो जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा बिक्रेता एवं क्रेता एक ही जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो केवाला के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक मांजो देवी, पति– डमरलाल महतो, निवास ग्राम–छोटकीपुन्नू, थाना–महुआटांड, जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द0सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
महुआटांड़, 48	48	734	0.13 ए0	0.04½ ए0	नीज क्रेता	गेन्दीया देवी	रास्ता	नीज क्रेता
			कुल	04½ डी0 (चार पूर्णांक एक बटा दो डिसमिल जमीन मात्र)				

मो0 2,62,000/– (दो लाख बारसठ हजार) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता पुष्पा कुमारी पति– मिथलेश कुमार, निवास ग्राम–महुआटांड़, थाना–महुआटांड़, जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

03.7.24

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

03.7.24

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.07.27 17:10:13 +05:30
Location: 192.168.119.43